| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की |
|---|---|---|

**न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा**

प्रकरण संख्या 25/2026 रे0फो0

**राजस्थान राज्य बनाम भैरूसिंह**

**( 1/1 )**

**दिनांक : 04.05.2026**

सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित।

अभियुक्त **भैरूसिंह** मय अधिवक्ता **श्री राजकुमार पालीवाल** उपस्थित।

अभियुक्त के विरुद्ध आदेश दिनांक 12.03.2026 के अनुसार आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में आरोप विरचित कर सुनाए व समझाए गए तो अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

पत्रावली साक्ष्य अभियोजन में नियत की जाती है।

साक्ष्य अभियोजन में गवाह निर्भयसिंह व उदयसिंह को जरिये जमानती वारंट 5,000/- रुपये से तलब किया जावें। गवाहान को जारी वारंट पर प्रकरण पुराना होने से आवश्यक रूप से तामील का नोट अंकित किया जावें।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 11.05.2026 को पेश हो।